



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नहतौर

दिनांक 29.04.2025

थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 101/25 धारा 65(1)/75/115(2) बीएनएस, 3/4 व 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिये जाने के संबंध में।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.04.2025 को वादिनी ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि बाल अपचारी द्वारा वादी की नाबालिक बेटी के साथ मारपीट की गयी तथा उसके साथ गलत कार्य किया गया। इस संबंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 101/25 धारा 75/115(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में 65(1) 115(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 101/25 धारा 65(1)/75/115(2) बीएनएस, 3/4 व 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित बाल अपचारी को पुलिस निगरानी में लिया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

बाल अपचारी का विवरण –

एक बाल अपचारी

पुलिस टीम का विवरण –

- 1- श्री धीरज सिंह थाना प्रभारी नहतौर, जनपद बिजनौर।
- 2- मुख्य आरक्षी अशोक कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
- 3- आरक्षी प्रमोद कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 29.04.2025

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.04.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	कोतवाली शहर	सतपाल पुत्र बल्लू सिंह निवासी गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2	कोतवाली शहर	हरपाल पुत्र बल्लू निवासी गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
3	मंडावली	गीता पत्नी मोनू निवासी ग्राम सिकरौडा थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
4	मंडावली	कल्लन पुत्र सगवा निवासी ग्राम सिकरौडा थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।
5	मंडावली	देवेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र धर्मपाल निवासी कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
6	मंडावली	नवनीत कुमार कर्णवाल पुत्र कुंवर सैन कर्णवाल निवासी कस्बा साहनपुर नजीबाबाद बिजनौर
7	बढ़ापुर	यशपाल पुत्र करनैल सिंह निवासी ग्राम मधपुरी थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर ।







जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 29.04.2025

**थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 99/2025 धारा 333/452/109(1)/115(2) बीएनएस में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.03.2025 को वादिया द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.सुरेश पुत्र बाबू सिंह 2.गौरव पुत्र सुरेश 3.सोनू पुत्र पृथी सिंह 4.सोनू पुत्र सुरेश निवासीगण ग्राम लाम्बाखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के घर में घुसकर उसके पुत्र विशाल के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से मारपीट की गयी व जान मारने की धमकी दी तथा वादिया के पुत्र को बचाने आये अरुण पुत्र मुकेश के साथ भी मारपीट की गयी, जिससे अरुण के कान व सिर में चोट आयी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 99/2025 धारा 333/452/109(1)/115(2) बीएनएस बनाम सुरेश आदि उपरोक्त कुल 04 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया । थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त सुरेश को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 29.04.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गौरव पुत्र सुरेश निवासी ग्राम लाम्बा खेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गौरव पुत्र सुरेश निवासी ग्राम लाम्बा खेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1613 रचित कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 29.04.2025

**थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 64/25 धारा 137(2) बीएनएस व 17/18 पॉक्सो एक्ट में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.04.2025 को वादी ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि उसकी नाबालिग भांजी घर से बाजार के लिये गयी थी, किन्तु लौटकर घर वापस नहीं आयी। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 64/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्त सौरभ उर्फ बिटटू पुत्र राजेश निवासी मौ0 मोहननगर कस्बा व थाना इगलास जनपद अलीगढ़ का नाम प्रकाश में आया। पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बंधित अपहृता को बरामद किया गया तथा अभियोग में धारा 17/18 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।



कार्यवाही –

दिनांक 29.04.2025 को थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सौरभ उर्फ बिटटू पुत्र राजेश निवासी मौ0 मोहननगर कस्बा व थाना इगलास जनपद अलीगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सौरभ उर्फ बिटटू पुत्र राजेश निवासी मौ0 मोहननगर कस्बा व थाना इगलास जनपद अलीगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह उज्ज्वल थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.कां0 209 आकाशवीर थाना नगीना जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात

दिनांक – 29.04.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 67/2025 धारा 103(1)/61(2) बी0एन0एस0 में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.04.2025 को समय प्रातः करीब 09:20 बजे थाना कोतवाली देहात पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम करौन्दा चौधर में शिवांग त्यागी पुत्र सुशील त्यागी ने प्रेम-प्रसंग के चलते गांव की ही रहने वाली लडकी भावना विश्वकर्मा पुत्री वेद प्रकाश शर्मा के सिर में गोली मार दी है। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची तथा शीघ्रता से घायल भावना उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी है। घटना के सम्बंध मृतका के पिता श्री वेदप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम करौन्दा चौधर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा प्रतिवादीगण 1.शिवांग त्यागी पुत्र सुशील त्यागी 2.सुशील त्यागी पुत्र शिवदयाल त्यागी 3.शैली त्यागी पत्नी सुशील त्यागी निवासीगण ग्राम करौन्दा चौधर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर 4.नितिन त्यागी पुत्र नामालूम निवासी रुहाना मिल जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध षडयन्त्र के तहत वादी की पुत्री की हत्या किये जाने के सम्बंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 67/2025 धारा 103(1)/61(2)/351(3)/126(2) बी0एन0एस0 बनाम शिवांग आदि कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया।



थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उक्त घटना में अभियुक्त शिवांग त्यागी, सुशील त्यागी, शादाब कादरी को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उक्त घटना में वांछित अभियुक्त शैली त्यागी पुत्र सुशील त्यागी निवासी ग्राम करौन्दा चौधर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

शैली त्यागी पुत्र सुशील त्यागी निवासी ग्राम करौन्दा चौधर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
- 2.उ0नि0 अनिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
- 3.उ0नि0 मोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
- 4.म0 मुख्य आरक्षी सीमा मान थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 29.04.2025

थाना मंडावर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक स्टोरी लगाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.04.2025 को सोशल मिडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर एक वीडियो वायरल हुआ । वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि मौ० अरशद पुत्र मौ० शरीफ अहमद निवासी ग्राम रायपुर बेरीसाल थाना मंडावर जनपद बिजनौर द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट पर आपत्तिजनक स्टोरी लगाकर अपनी पोस्ट वायरल की गयी है । इस सम्बंध में थाना मंडावर पर मु०अ०सं० 72/25 धारा 299 बीएनएस व 67 आई०टी० एक्ट पंजीकृत किया गया है।

कार्यवाही –

थाना मंडावर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त मौ० अरशद पुत्र मौ० शरीफ अहमद निवासी ग्राम रायपुर बेरीसाल थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मौ० अरशद पुत्र मौ० शरीफ अहमद निवासी ग्राम रायपुर बेरीसाल थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सरोज थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
2. उ०नि० विपिन कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
3. मुख्य आरक्षी कपिल शर्मा थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4. आरक्षी भगत सिंह थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।